संख्या-10/2018-1783/चौदह-4-2018-500(30)/2014

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 21 अगस्त,2018

विषय: वित्तीय वर्ष-2018-19 में ''संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन'' योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-पी-1397/36-टी-77, दिनांक 27.06.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत ''संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन''योजनान्तर्गत धनराशि रू0 95.00 लाख (रू0 पन्चानब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00
29-अनुरक्षण	50.00
योग-राजस्व लेखा	55.00
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
09- संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धन (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	10.00
42-अन्य व्यय	30.00
योग पूंजी लेखा-:	40.00
कुल योग-:	95.00

(रू0 पन्चानब्बे लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://sirsanades.up.nic.in

2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहाँ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियाँ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

3- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे। सम्बन्धित प्रमुख वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगें कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दिवरावृत्ति न हो।

4- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हो तो व्यय वित समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेगें तथा समस्त वैधानित अनुमति सम्बन्धित वैधानित प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, इत्यादि, वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

5- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियों सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य सम्बन्धित सम्बन्धित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6. व्यय को निर्धारित मानकों अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

8. स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर को उपलब्ध करा दिया गया हो।

9. अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहें।

10. इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्येय के पूर्वनियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा तथा विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के उपरान्त ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

12. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय सम्बान्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

13- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14- योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये ।

15-स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

16-विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति, चित्र (Photo) सहित विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु (Additional point) के रूप में भी विभागीय वेब-साईट पर इंगित किया जाय।

17- उपर्युक्त धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 जून, 2018 एवं संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 22 जून, 2018 में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जाय।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375-दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 के निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव

संख्या-1783(1)/चौदह-4-2018-500(30)/2014 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in